बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–आवंटन–01/14 7149 /खाद्य, पटना/दिनांक 04-09-2015

प्रेषक,

रमाशंकर प्र0 दफ्तुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अधीन माह अक्टूबर,2015 से अगले आदेश तक खाद्यान्न का संशोधित मासिक आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्रांक 1–8/2013– बी0पी0-III दिनांक– 04.03.2014 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत 128816 मे0टन गेहूँ 193224 मे0टन चावल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ जिसके आलोक में विभागीय पत्र सं0–2415 दिनांक 10.04. 2014 द्वारा माह अप्रैल, 2014 से अगले आदेश तक खाद्यान्न का जिलावार मासिक आवंटन किया गया है ।

2. राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)11 सर्वेक्षण के अन्तर्गत अंतिम सूची के प्रकाशन के उपरांत सभी जिलों में ग्रामीण पात्र परिवारों के सदस्यों का 7,62,76,273 डाटा, शहरी पात्र परिवारों के सदस्यों का 85,70,400 डाटा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पात्र परिवारों के सदस्यों का 12,80,998 डाटा एवं 45 साल तक की पात्र विधवा महिला का 1,67,064 डाटा की जिलावार संख्या ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं0– 235755 दिनांक 24.06.2015 से उपलब्ध कराया गया है । इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् कुल 8,62,94,735 पात्र व्यक्तियों की संख्या प्रतिवेदित हुई है जिसके आलोक में बढ़े हुए पात्र व्यक्तियों हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग की गई।

3. उक्त के आलोक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र सं0 1–8/2013–बी0पी0–III (Vol.II) दिनांक– 12.08.2015 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के 7378495 अतिरिक्त व्यक्तियों हेतु प्राप्त खाद्यान्न के संशोधित मासिक आवंटन प्राप्त होने पर विभागीय पत्र सं0– 6615 दिनांक 19.08.2015 द्वारा जिलावार मासिक आवंटन किया गया है ।

4. पुनः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र सं0–1–8/2013–बी0पी0–III (Vol.II) दिनांक– 04.09.2015 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के 2270845 अतिरिक्त व्यक्तियों हेतु खाद्यान्न का निम्नवत् संशोधित मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है (छायाप्रति संलग्न)।

गेहूँ – 148114.690 मे0 टन
चावल – 222172.035 मे0 टन
कुल – 370286.725 मे0 टन

5. माह अक्टूबर, 2015 के खाद्यान्न की उठाव की अंतिम तिथि पत्र निर्गत की तिथि से 30 दिनो तक निर्धारित है । इसके बाद के माहों में खाद्यान्न के उठाव की अवधि आवंटन माह के पूर्ववर्ती माह की अंतिम तिथि निर्धारित है ।

D:\Year-2015\Sec-Folder (6)\B.P.L. Below poverty.doc

6. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अंतिम सूची प्रकाशन के पश्चात् सभी जिलों से विभागीय पत्र सं0– 5037 दिनांक 01.07.2015 द्वारा प्रतिवेदित पात्र जनसंख्या हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत श्रेणीवार खाद्यान्न की अधियाचना की मांग की गई थी। जिलों से प्राप्त खाद्यान्न की अधियाचना की समीक्षा के उपरांत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों हेतु प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल की दर से कुल 5 किलोग्राम की दर से माह अक्टूबर, 2015 से अगले आदेश तक संलग्न जिलावार तालिका के अनुसार खाद्यान्न का संशोधित मासिक आवंटन किया जाता है। पूर्व निर्गत विभागीय पत्र सं0– 6615 दिनांक 19.08.2015 को इस अंश तक संशोधित समझा जाय । गेहूँ का दर 2/– रू0 प्रति किलोग्राम एवं चावल का दर 3/– रू0 प्रति किलोग्राम होगा ।

7. भारत सरकार से प्राप्त इस संशोधित खाद्यान्न के मासिक आवंटन में अन्त्योदय श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित खाद्यान्न गेहूँ 35014 मे0टन एवं चावल 52521 मे0टन को यथावत् रखा गया है । अतः अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न के आवंटन में कोई संशोधन नहीं किये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा पूर्व निर्गत विभागीय पत्र सं0– 1666 दिनांक 04.03.2014 द्वारा अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत माह मार्च, 2014 से अगले आदेश तक के लिए आवंटित मासिक खाद्यान्न संबंधी आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा ।

8. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जिलान्तर्गत पहचान किये गये सभी पात्र गृहस्थियों को वितरित किये गये वास्तविक राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाय। इस आवंटन के आलोक में यदि जिले में अतिरेक खाद्यान्न हो तो उसे निश्चित रूप से प्रत्यार्पित कर दिया जाय ।

अनुरोध है कि तदनुसार खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाय एवं प्रत्येक माह के उठाव एवं वितरण संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाय ।

विश्वासभाजन

अनु0:– यथोक्त ।

4/9/15
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–आवंटन–01/14 7149 /खाद्य, पटना/दिनांक 04-09-2015

प्रतिलिपि– प्रबन्ध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, पटना एवं महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, अरूणाचल भवन, एक्जीविश्न रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/9/15
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–आवंटन–01/14 7149 /खाद्य, पटना/दिनांक 04-09-2015

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, बिहार राज्य खाद्य आयोग/सभी सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग, सोन भवन, पटना/सभी अपर समाहर्त्ता –सह– जिला शिकायत निवारण अधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

4/9/15
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–आवंटन–01/14 7149 /खाद्य, पटना/दिनांक 04-09-2015

प्रतिलिपि– श्री संदीप सक्सेना, अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

4/9/15
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–प्र06–आवंटन–01/14 7149 /खाद्य, पटना/दिनांक 04-09-2015

प्रतिलिपि– आई0टी0 पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर डालने एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

4/9/15
सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के पात्र व्यक्तियों हेतु माह अक्टूबर, 2015 से अगले आदेश तक खाद्यान्न का संशोधित मासिक आवंटन

मात्रा क्वींटल में

क्र0	जिला का नाम	ग्रामीण चयनित जनसंख्या	शहरी चयनित जनसंख्या	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या	45 वर्ष तक की विधवा महिला की जनसंख्या	कुल पात्र जनसख्या	अन्त्योदय जनसंख्या	अवशेष पूर्विकताप्रापत जनसख्या	विभागीय पत्र सं0 2415 दिनांक 10.04.2014 द्वारा पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में किया गया आवंटन			पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या	माह अक्टूबर, 2015 से अगले आदेश तक खाद्यान्न का संशोधित मासिक आवंटन		
									पूर्विकताप्राप्त जनसंख्या।	खाद्यान्न का आवंटन			जिले में कुल पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अधीन व्यक्तियों की संख्या के लिए आवंटन	खाद्यान्न का संशोधित आवंटन (2 किलो गेहूँ एवं 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति की दर से)	
										गेहूँ	चावल			गेहूँ	चावल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	प0 चम्पारण	2896259	273287	48013	3122	3220681	534816	2685865	2364745	47294.90	70942.35	302834	2667579	53351.57	80027.36
2	पूर्वी चम्पारण	3934849	299349	47752	4361	4286311	548952	3737359	3088650	61773.00	92659.50	611768	3700418	74008.36	111012.53
3	शिवहर	552058	22326	2787	329	577500	71126	506374	463162	9263.24	13894.86	40751	503913	10078.27	15117.40
4	सीतामढ़ी	2910334	131780	18803	2115	3063032	380385	2682647	2471697	49433.94	74150.91	198937	2670634	53412.69	80119.03
5	मधुबनी	3831361	123237	32098	4011	3990707	654453	3336254	3028960	60579.20	90868.80	289795	3318755	66375.10	99562.65
6	सुपौल	1911813	89925	11501	1963	2015202	263805	1751397	1597765	31955.30	47932.95	144883	1742648	34852.97	52279.45
7	अररिया	2663145	160466	13554	1950	2839115	324206	2514909	2161966	43239.32	64858.98	332844	2494810	49896.21	74844.31
8	किशनगंज	1389614	134717	5555	1390	1531276	314429	1216847	1168305	23366.10	35049.15	45778	1214083	24281.65	36422.48
9	पूर्णिया	2641610	266771	16199	2308	2926888	235687	2691201	2462907	49258.14	73887.21	215294	2678201	53564.01	80346.02
10	कटिहार	2566035	193293	17787	2609	2779724	263070	2516654	2345756	46915.12	70372.68	161166	2506922	50138.44	75207.66
11	मधेपुरा	1746487	79833	15231	2585	1844136	203370	1640766	1560880	31217.60	46826.40	75337	1636217	32724.34	49086.51
12	सहरसा	1639531	125077	10383	1534	1776525	156312	1620213	1523780	30475.60	45713.40	90942	1614722	32294.43	48441.65
13	दरभंगा	3456773	296071	22818	2523	3778185	463568	3314617	3026734	60534.68	90802.02	271489	3298223	65964.47	98946.70
14	मुजफ्फरपुर	3674177	258195	42314	4237	3978923	730662	3248261	2904276	58085.52	87128.28	324397	3228673	64573.45	96860.18
15	गोपालगंज	1629817	105641	49175	5123	1789756	322374	1467382	1199941	23998.82	35998.23	252211	1452152	29043.05	43564.57
16	सिवान	2208137	116395	68151	7520	2400203	214682	2185521	1872722	37454.44	56181.66	294986	2167708	43354.17	65031.25
17	सारण	2483590	235887	54135	8062	2781674	504645	2277029	1962094	39241.88	58862.82	297001	2259095	45181.90	67772.84
18	वैशाली	2903199	171708	45335	3506	3123748	410937	2712811	2369582	47391.64	71087.46	323684	2693266	53865.31	80797.97
19	समस्तीपुर	3834205	84693	42152	4858	3965908	464871	3501037	3188151	63763.02	95644.53	295068	3483219	69664.39	104496.58
20	बेगूसराय	2169862	438182	21313	2276	2631633	297596	2334037	2190357	43807.14	65710.71	135498	2325855	46517.10	69775.65
21	खगड़िया	1524430	77262	13485	1444	1616621	240344	1376277	1199620	23992.40	35988.60	166597	1366217	27324.34	40986.51
22	भागलपुर	2062758	359707	33826	3883	2460174	267296	2192878	1940658	38813.16	58219.74	237857	2178515	43570.30	65355.45
23	बांका	1707415	53086	16349	3341	1780191	134087	1646104	1530333	30606.66	45909.99	109178	1639511	32790.23	49185.34

क्र0	जिला का नाम	ग्रामीण चयनित जनसंख्या	शहरी चयनित जनसंख्या	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या	45 वर्ष तक की विधवा महिला की जनसंख्या	कुल पात्र जनसंख्या	अन्त्योदय जनसंख्या	अवशेष पूर्विकताप्राप्त जनसंख्या	विभागीय पत्र सं0- 2415 दिनांक 10.04.2014 द्वारा पूर्विकताप्राप्त श्रेणी मे किया गया आवटन			पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या	माह अक्टूबर, 2015 से अगले आदेश तक खाद्यान्न का संशोधित मासिक आवंटन		
									पूर्विकताप्राप्त जनसंख्या	खाद्यान्न का आवटन			जिले में कुल पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अधीन व्यक्तियों की संख्या के लिए आवटन	खाद्यान्न का संशोधित आवंटन (2 किलो गेहूँ एवं 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति की दर से)	
										गेहूँ	चावल			गेहूँ	चावल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	मुंगेर	801739	241510	21497	1415	1066161	166353	899808	816254	16325.08	24487.62	78796	895050	17901.00	26851.50
25	लखीसराय	646981	98247	17488	2011	764727	83585	681142	617391	12347.82	18521.73	60121	677512	13550.23	20325.35
26	शेखपुरा	378807	80356	14208	1130	474501	60145	414356	365915	7318.30	10977.45	45682	411597	8231.95	12347.92
27	नालन्दा	1658091	395799	32819	8202	2094911	346031	1748880	1478905	29578.10	44367.15	254601	1733506	34670.12	52005.18
28	पटना	2819867	2197209	71738	8721	5097535	559973	4537562	2735154	54703.08	82054.62	1699770	4434924	88698.47	133047.71
29	भोजपुर	1679675	302020	41029	11348	2034072	311824	1722248	1193859	23877.18	35815.77	498300	1692159	33843.17	50764.76
30	बक्सर	867660	88305	29146	7265	992376	193307	799069	681149	13622.98	20434.47	111205	792354	15847.08	23770.62
31	कैमूर	940277	33633	44354	6713	1024977	238710	786267	651986	13039.72	19559.58	126634	778620	15572.41	23358.61
32	रोहतास	1561723	278619	45852	11989	1898183	253542	1644641	1332985	26659.70	39989.55	293909	1626894	32537.87	48806.81
33	औरंगाबाद	1604475	144338	69252	7648	1825713	274135	1551578	1298763	25975.26	38962.89	238418	1537181	30743.63	46115.44
34	गया	2915043	286247	128471	9641	3339402	450220	2889182	2379709	47594.18	71391.27	480461	2860170	57203.39	85805.09
35	नवादा	1578128	110559	52305	6874	1747866	233460	1514406	1311681	26233.62	39350.43	191181	1502862	30057.23	45085.85
36	जमुई	1347555	91206	30524	2468	1471753	242625	1229128	1024598	20491.96	30737.94	192883	1217481	24349.62	36524.43
37	जहानाबाद	658695	86501	19500	4452	769148	157451	611697	510675	10213.50	15320.25	95269	605944	12118.88	18178.33
38	अरवल	480098	38963	14099	2137	535297	81707	453590	385921	7718.42	11577.63	63816	449737	8994.73	13492.10
	योग :-	**76276273**	**8570400**	**1280998**	**167064**	**86294735**	**11654741**	**74639994**	**64407986**	**1288160**	**1932240**	**9649340**	**74057326**	**1481146.52**	**2221719.78**